02 536

सं0 92/70-1-2003-15(14)92 टी.सी.

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

दिनांक : 06 जनवरी, 2003

विषय : उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक पदों की अर्हता निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या 91/70-1-2003-15(14) 92 टी.सी. दिनांक 06-01-2003 के अनुक्रम में तथा उत्तम शैक्षिक अभिलेख को परिभाषित करने विषयक पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1594/सत्तर-1-2000-15(14) 92 दिनांक 3 मई 2000, शासनादेश संख्या 896/सत्तर-1-2002-15(14) 92 दि0 22-4-2002 तथा शासनादेश संख्या 1011/सत्तर-1-2002-15(14) 92 दिनांक 10 मई 2002 तथा संख्या 1093/सत्तर-1-2002-15(14)92 दिनांक 31-5-2002 को अवक्रमित करते हुए प्रवक्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय), उपपुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय), सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) तथा महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के सम्बन्ध में उत्तम शैक्षिक अभिलेख को निम्नवत परिभाषित किया जाता है :-

"स्नातक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक परन्तु पद हेतु अर्हताओं में स्नातकोत्तर उपाधि से पूर्व एक वृत्तिक एवं एक अन्य स्नातक उपाधि धारण अपेक्षित होने की दशा में स्नातक उपाधि अथवा वृत्तिक उपाधि में से किसी एक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक।

परन्तु यह और कि जहाँ अभ्यर्थी सुसंगत विषय में पी0एच0डी0 धारक हो अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, वहाँ स्नातक ~~स्तर~~ अथवा यथा अपेक्षित वृत्तिक उपाधि में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर प्रवक्ता पद हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख का धारक माना जायेगा।

स्पष्टीकरण - अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी पी0एच0डी0 धारित करते हों, या नहीं दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें स्नातक स्तर पर अथवा यथापेक्षित वृत्तिक उपाधि में 50% न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर प्रवक्ता पद हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख का धारक माना जायेगा।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देशित करते हैं कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय उपर्युक्तानुसार परिभाषित उत्तम शैक्षिक अभिलेख के प्राविधानों को 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

आर0 रमणी
प्रमुख सचिव।

Rel
16.1.03
1- DR. Academic
2- AR Adm.
3- AR Affil
17/1

संख्या : 92(1)/70-1-2003-15(14) 92 टी.सी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2- प्रमुख सचिव/महामहिम कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।

6- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

7- कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

8- उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी0 डी0 जोशी)

संयुक्त सचिव।

सं0 91 /70-1-2002-15(14)92 टी.सी.

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद

दिनांक : 06 जनवरी, 2003

विषय : विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक पदों एवम् पुस्तकालयाध्यक्षों की अर्हता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वर्ष 1998 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में चाहे वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संचालित हों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अथवा बार कौंसिल आफ इण्डिया से, शिक्षकों की अर्हता का निर्धारण किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल मिसलेनियस याचिका संख्या 40202/2001 अवधेश कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 14–5–2002 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0–1–1–2002 (पी0एस0) इक्जेम्प दि0 31 जुलाई, 2002 में दिये गये निदेश के अनुपालन में तथा उपर्युक्त विषयक पदों की अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राप्त अन्य प्रत्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए शासन द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों की समय–समय पर निर्धारित अर्हता में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है:–

1– सीधी भर्ती के स्नातकोत्तर प्राचार्य

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
(क)	प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात अंकों के पूर्व योग 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित (स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविछिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख (अर्थात अभ्यर्थी के शिक्षा काल में आद्योपान्त सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख, और	स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी–ग्रेड।, 2– पी0एच0डी0 अथवा समतुल्य उपाधि। 3– उच्च शिक्षा की संस्थाओं में 15 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव। किन्तु शिक्षण प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य पद हेतु 15 वर्ष के अध्यापन अथवा प्रशासनिक
(ख)	डाक्टरेट की उपाधि और स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभव।	

क्रमशः पृ0 2

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
	परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या उपाधि कक्षाओं के अध्यापन का 20 वर्ष का अनुभव या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का सात वर्ष का अनुभव है या वह किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पांच वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है। परन्तु यह और कि यदि चयन समिति का यह मत हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जो उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हो, अत्यधिक उच्च स्तर का है, तो यह उपखण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।	अनुभव शोध जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा।
2–	**स्नातक स्तर के प्राचार्य** सीधी भर्ती	
	(क) महाविद्यालयों में प्राध्यायित किसी विषय या उससे सम्बद्ध या अन्तः सम्बद्ध किसी विषय में प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात अंकों के पूर्ण योग के 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविछिन्न उत्तम शैक्षिक अभिलेख (अर्थात अभ्यर्थी के शिक्षा काल में आद्योपान्त समवे मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख और (ख) डाक्टरेट की उपाधि और स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभव : परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातक कक्षाओं के अध्यापन का बारह वर्ष या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का सात वर्ष	(1) स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी0ग्रेड। (2) पी0एच–डी0 अथवा समतुल्य उपाधि। (3) विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों और संस्थानों में अध्यापन / शोध का 10 वर्ष का अनुभव, किन्तु शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातक प्राचार्य हेतु 10 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षण का अनुभव अनिवार्य होगा।

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
	या उससे अधिक का अनुभव है या यदि वह किसी उपाधि महाविद्यालय का चार वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है। परन्तु यह और कि यदि समिति का यह मत हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जो उसके शोध निबन्ध या उसके प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हो अत्यधिक उच्च स्तर का है तो यह उपखण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।	
3—	**आचार्य सीधी भर्ती**	
	उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात विद्वता और अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत और अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या अनुसंधान कार्य और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर अनुसंधान कार्य के मार्ग दर्शन का अनुभव या विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वता।	ऐसा प्रख्यात विद्वान जिसकी प्रख्यापित रचना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से लगे हों तथा जिसे परास्नातक कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल हो या विषय का ख्यातिलब्ध मूर्धन्य विद्वान जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।
4—	**उपाचार्य सीधी भर्ती**	
	(क) डाक्टर की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और अनुसंधान कार्य का अध्यापन पद्धति में अभिनवीकरण या अध्यापन सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रूप से कार्यरत और	उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ डाक्टरेट की उपाधि या सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा सात सूत्रीय वर्ग माप में बी ग्रेड। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा शोध के

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
	(ख) अध्यापन या अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति में कार्य करने का अनुभव : परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसने चयन समिति की राय में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया हो, खण्ड (ख) में दी गयी अपेक्षायें शिथिल की जा सकती हैं।	अनुभव के साथ ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित रचना, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनवीकरण, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान, इस हेतु किये गये योगदान अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान से प्रमाणित हो।
5—	**प्रवक्ता प्राध्यापक (लेक्चरर)**	
	(क) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक एवं (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सी0एस0आई0आर0 की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा 31 दिसम्बर, 93 से पहले पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु थिसिस जमा हो अथवा 31 दिसम्बर, 95 तथा एम0फिल0 की उपाधि प्राप्त की हो, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।	(क) शिक्षण प्रशिक्षण (प्रवक्ता बी0एड0/एम0एड0) की शाखा को छोड़कर अन्य ज्ञान की शाखाओं में प्रवक्ता पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी :— उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक स्नातकोत्तर स्तर पर अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0ग्रेड के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) शिक्षण प्रशिक्षण (बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों) में प्रवक्ता हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी :— (अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ शिक्षा/एम0एड0 में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0 ग्रेड। (ब) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

क्रमशः पृष्ठ 5

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
		उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी यदि पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या समतुल्य उ0प्र0 राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
6—	(क) <u>पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय</u>	
	पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख" अधिस्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और तीन वर्ष का अनुभव। पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव। उपपुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख" स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव। उपपुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि स्पष्टीकरण :— इन परिनियमों में प्रयोजनों के लिए पुरतकालयाध्यक्ष/उपपुरतकालयाध्यक्ष श्रेणी "क" और "ख" का तात्पर्य ऐसे किसी उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/उप—पुरतकालयाध्यक्ष से हैं जहां दो हजार या अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हों और पुरतकालयाध्यक्ष, उपपुरतकालयाध्यक्ष श्रेणी "ग" का तात्पर्य किसी ऐसे उपाधि महाविद्यालय के पुरतकालयाध्यक्ष/उपपुरतकालयाध्यक्ष से है जहां दो हजार से कम छात्र अध्ययन कर रहे हों।	उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालयी विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0 ग्रेड। विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे उपपुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 13 वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुरतकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 18 वर्ष के कार्य का अनुभव। पुरतकालयी सेवा में अविनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण। वांछित अर्हता — पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान डाकूमेन्टेशन संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख—रखाव में एम0फिल0 अथवा पी0एच0डी0 उपाधि।

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
		(ख) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उ0प्र0 राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(ग) विश्वविद्यालयों में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद/प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (महाविद्यालय) के पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी :–

उत्तम शैक्षिक अभिलेखों के साथ शारीरिक विज्ञान द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अथवा खेलकूद में स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0 ग्रेड।

अन्तर विश्वविद्यालयी/अन्तर महाविद्यालयी क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने अथवा राष्ट्रीय क्रीड़ा तथा खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र।

शारीरिक स्वस्थता प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा उ0प्र0 समतुल्य राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र।

नोट : उपर्युक्त 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) श्रेणी में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को उ0प्र0 द्वारा संचालित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट रहेगी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1993 तक एम0फिल0 की डिग्री प्राप्त कर ली है या सम्बन्धित विषय में दिनांक 31–12–2002 तक पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा पी0एच0डी0 उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध (थिसिस) दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु पी0एच0डी0

क्रमशः पृष्ठ 6

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था

6— (ख) उपपुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) अनिवार्य अर्हता

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टरी में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55% अंक अथवा समतुल्य उपाधि में यू0जी0सी0 के साथ सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0 ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर 5 वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अविनवीकरण का प्रमाण प्रकाशित रचनाओं और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछित—पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रखरखाव पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम0फिल0 अथवा पी0एच0डी0 की उपाधि।

नोट : उप पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

6— (ग) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)/पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय)

अनिवार्य – उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा यू0जी0सी0 के सात सूत्रीय वर्ग माप में बी0 ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन का ज्ञान।

८

क्रमांक	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
		सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेन्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। नोट :– उपर्युक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालयों) एवं पुस्तालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा जो प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देशित करते हैं कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय कृपया विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक पदों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की अर्हता के सम्बन्ध में शासन द्वारा वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था करने सम्बन्धी उपरोक्त निर्णयों/प्राविधानों को 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर० रमणी)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली।
2– अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या एफ–I–2002 (पी०एस०) एक्जेम्प दिनांक 31–7–2002 के संदर्भ में प्रेषित।
3– प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।
4– सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
5– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
6– अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7– कुलसचिव, समस्त, उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय।
8– उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी० डी० जोशी) 06/1/2003
संयुक्त सचिव।